फाइल नं0-71-3002/15/2022

2/2023/I/256994/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई, फतेहपुर तथा एटा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, हरदोई, फतेहपुर तथा एटा हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पंचम किश्त की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0मे0का0ह0/2022-23/656, दिनांक 17.11.2022, पत्र संख्या-1212/ए0एस0एम0सी0/फते0/गैर वेतन मद/2022-23, दिनॉक 12.12.2022 तथा पत्र संख्या-मे0का0एटा/बजट/2022/1289, दिनॉक 13.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अपने से सम्बन्धित मेडिकल कालेज हेतु गैर वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, हरदोई, फतेहपुर तथा एटा हेतु 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में विभिन्न शासनादेशों द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की गई है:-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	5	6
1	हरदोई	शासनादेश संख्या-81/2022/I-2097854/71-3002-002-1-2022-03, दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 166.66 लाख	400.00
		शासनादेश संख्या-103/2022/I/193111/2022-71-3099/58/ 2021, दिनांक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 33.34 लाख	
		शासनादेश संख्या-130/2022/I/216601/2022-71-3002/15/ 2022, दिनांक 21.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख	
		शासनादेश संख्या-151/2022/I/232074/2022-71-3002/15/2022, दिनांक 04.11.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख	
2	फतेहपुर	शासनादेश संख्या-81/2022/I-2097854/71-3002-002-1-2022-03, दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 166.66 लाख	400.00
		शासनादेश संख्या-103/2022/I/193111/2022-71-3099/58/2021, दिनांक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 33.34 लाख	
		शासनादेश संख्या-130/2022/I/216601/2022-71-3002/15/2022, दिनांक 21.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		शासनादेश संख्या-151/2022/I/232074/2022-71-3002/15/2022, दिनांक 04.11.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख	
3	एटा	शासनादेश संख्या-81/2022/I-2097854/71-3002-002-1-2022-03, दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में रू0 166.66 लाख	333.32
		शासनादेश संख्या-117/2022/I-210817/71-3099/58/2021, दिनॉक 08.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख	
		शासनादेश संख्या-151/2022/I/232074/2022-71-3002/15/2022, दिनांक 04.11.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख	

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष के अधीन अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, फतेहपुर तथा एटा हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार पंचम किश्त के रूप में कुल **रू0 283.33 लाख (रू0 दो करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगातथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यधय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चारत ही चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050348 मेडिकल कालेज, एटा	20 -सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

महायोग	2,83,33,000 (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-452/दस-2022-23, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई, फतेहपुर तथा एटा ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।